कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ0ग0)

—: आदेश :—

क्रमांक/3591/न्या.लि./कोरोना सेल/2021

रायगढ, दिनांक **10/04/2021**

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आदेश क्रमांक/2979/कोरोना सेल/2021, रायगढ़, दिनांक 24.03.2021 एवं आदेश क्रमांक/3232/न्या.लि./2021, दिनांक 30.03.2021 तथा आदेश क्रमांक/3327/न्या.लि./2021, दिनांक 01.04.2021 जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोविड–19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला रायगढ़ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक/2979/कोरोना सेल/2021, रायगढ़, दिनांक 24.03.2021 एवं आदेश क्रमांक/3232/न्या.लि./2021, दिनांक 30.03.2021 तथा आदेश क्रमांक/3327/न्या.लि./2021, दिनांक 01.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं **भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

1. रायगढ़ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक **14.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 22.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक** कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेंगी।
3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलेवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि **प्रातः 06:00 बजे प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक** ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
5. पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु **प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक** शॉप खोलने की अनुमति होगी।
6. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
7. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
8. अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे।
9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, गार्डन, बगीचा, सार्वजनिक पार्क आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगी।

Scanned with CamScanner

11. उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक/निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे, एस.ई.सी.एल. कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।

12. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

13. जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं सप्ताहिक बाजार/हाट पूर्णतः बंद रहेंगी।

14. विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया जाता है। विवाह कार्यक्रम में वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

16. अपरिहार्य परिस्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉल/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

17. उपरोक्त अवधि में रेल एवं बस से यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों के ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा।

18. कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकारण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब, आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भम्रण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

19. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो मे ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

20. मिडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

21. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण) कमाण्डेंट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इस शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

Scanned with CamScanner

22. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत् तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 14.04.2021 को प्रातः 06:00 बजे से लागू होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

पृ. क्रमांक/3591–ए/न्या.लि./कोरोना सेल/2021 रायगढ, दिनांक **10/04/2021**

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
2– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3– सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
4– सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर ।
5– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर।
6– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर।
—— की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9– आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ ।
12– उप संचालक, जनसम्पर्क रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
13– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़।
14– सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला रायगढ़।
15– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़।
16– सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़ ।
——— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
17– कार्यालय प्रति।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

Scanned with CamScanner